लाभ होता यदि इन क्वार्टरों को इस तरह निरुद्देश्य खाली न कराया गया होता ।

अतः मेरा निर्माण एव आवास मंत्री तथा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वहां गैर-कानूनी रूप से बसे या बसाये गए लोगों को वहां से तुरन्त हटाया जाए और उन क्वार्टरों को या तो पुनः आवंटित किया जाए या फिर उन्हें तत्काल गिरा दिया जाए ।

दूसरे वहां अब जो क्वार्टर आवंटित हैं उन्हें इस प्रकार निरुद्देश्य खाली न कराया जाये क्योंकि इससे जहां एक ओर राजस्व की हानि होगी वहां दूसरी ओर आवास समस्या भी बढ़ेगी । आवास और निर्माण मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य दें और यह आश्वासन दें कि शेष क्वार्टरों को निरुद्देश्य और समय से पहले खाली नहीं कराया जाएगा ।

(v) REPORTED DE-RECOGNITION OF MEDICAL COLLEGES IN BIHAR

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार सरकार ने 1978 में 5 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों—1. नालन्दा मैडिकल कालेज, पटना, 2. पाटलीपुत्र मैडिकल कालेज, धनबाद, 3. श्री कृष्ण मैडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर, 4. भागलपुर मैडिकल कालेज, भागलपुर व 5 मगध मैडिकल कालेज, गया का अधिग्रहण किया था ।

इन चिकित्सा महाविद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश इण्डियन मैडिकल कौंसिल ने दिया था तथा इसी शर्त पर अस्थायी एवं औपबंधिक मान्यता दे दी थी, कि निर्धारित अवधि के अन्दर न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाएगा । न्यूनतम आवश्यकताओं एवं शर्तों में महाविद्यालयों का अपना भवन, अपना अस्पताल और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति शामिल थी ।

इसी बीच सरकार बदल गयी और इण्डियन मैडिकल कौंसिल के बार बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद बिहार सरकार ने उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं किया । फलस्वरूप इण्डियन मेडिकल कौंसिल ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है, जिसके कारण कई हजार छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । मुजफ्फरपुर, पटना आदि कई जगहों पर छात्र आन्दोलन कर रहे हैं ।

अतः सरकार से मांग है कि इण्डियन मैडिकल कौंसल द्वारा निर्धारित न्यूनतम शर्तों की अविलम्ब पूर्ति कर शीघ्रातिशीघ्र मान्यता दिलाने में पहल करें ।

(vi) *S.C.* AND *S.T.* AND LOCAL STUDENTS' PROBLEM IN GETTING ADMISSION TO JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH PONDICHERRY

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambram): I would like to draw the immediate attention of the Minister of Health and Family Welfare, Government of India about the serious plight of the people of Pondicherry Union Territory consequent to a decision of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research for a provision of an admissibility of the wards of the Central/State Government servants, including employees of Public Sector Undertakings under the Central/State Government posted in the Union Territory of Pondicherry at the time of application to the M.B.B.S course 1982-83 irrespective of the period of their residents in the Union Territory of Pondicherry despite a regular procedure of a claim of nativity if they have stayed for more than five years. The mere declaration of local nativity when they have stayed for even a day and not more than five years at the time of application is a definite injustice and may lead to total deception to the erstwhile natives of Pondicherry Union Territory. The attitude of the new conception requires revival to the original strategy.